FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0039 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/03/2024 17:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 15/06/2023 **Date To (दिनांक तक):** 15/06/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/03/2024 **Time (समय):** 16:45 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/03/2024 17:10:16 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** Gram Panchyat Rlawta, Panchyat Samiti Kishngarh, District Ajmer

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Mahesh Sharma

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Lt. Dhrneedhar Sharma

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Ward No 03, Opp. side of Membar of Parlement, Madangang Kishangarh, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Ralavta, Kishangarh, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7737197932

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Mulayam Singh Yadav		पिता:Rameshwer Dyal Yadav	1. Bagdin Gopinath,Aapriyo ki Dhani Post Dhola ka baas,Waya Kaladera,Chomu,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 15.06.2023 को समय 1.00 पीएम पर प्रार्थी श्री महेश शर्मा पुत्र स्व. श्री धरणी धर शर्मा ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टेलीजेंस यूनिट अजमेर पर उपस्थित होकर उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, इन्टेलीजेंस यूनिट, अजमेर श्री पारसमल पंवार के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलीजेंस यूनिट अजमेर विषय भ्रष्ट लोक सेवक को रिश्वत लेते पकड़वाने के सम्बध में महोदयजी उपरोक्त विषय में निवेदन है कि में प्रार्थी महेश शर्मा पुत्र स्व. श्री धरणी धर जी शर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम रलावता हाल किशनगढ सांसद निवास के पिछे वार्ड-03 किशनगढ जिला अजमेर का रहने वाला हूं। तथा पेशे से नमकीन सप्लायर व पूजा पाठ का काम करता हू। मेरे ग्राम रलावता से 804 वर्ग गज का पुश्तेनी निर्मीत भू खण्ड है जो कि आवादी क्षेत्र है। जिसमें दो होल व तीन कमरे चारो तरफ बाउंड्री है। इस भूखण्ड 804 वर्ग गज में से 300 वर्ग गज का मरे पास पट्टा है। करीब 50 वर्ष पूर्व का जो कि इस रलावता ग्राम पचायत के द्वारा हि दिया हुआ है। इस 300 वर्ग गज के पट्टे का मुझे नविनीकरण करना है। तथा शेष भूखण्ड 504 वर्गगज के 3 पट्टे जारी करवाने है। जिसमें मेरी मम्मी सुशीला देवी भाई राकेश व मेरे नाम से बनवाने है। जिसका आवेदन प्रार्थना पत्र कि फाइल मेने दिनांक 10.1.23 को तैयार कर श्री मुलायम सिंह ग्राम विकास अधीकारी रलवता के पास जमा करवा दि है। तथा पट्टा आवेदन शुल्क 210 (70 रू प्रति पट्टा के हिसाब से) दिनांक 10.1.23 को हि जमा करवा दि है। मैं मेरे पट्टा रिन्यूल व नये पट्टे बनना के लिए श्री मुलायम सींह से कई बार ग्राम पचासत भवन में जाकर वार्ता कि लेकिन लेकिन VDO द्वारा हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे टरकादेता है। तथा मेरे काम को पिछले करीबन 6 माह से लटकाये रखा है तथा मुझे परेशान कर रहा है। मेरे भूखण्ड कि मौका रिपोट भी VDO द्वारा करीब चार पाच माह पूर्व तेयार कर ली है। लेकिन मुझे मेरे पट्टे तेयार कर नहीं दे रहे है। मे कल दिनांक 14.6.23 को समय 5.30 6.00 PM के करीब ग्राम पचायत रलावता मे जाकर VDO श्री मुलायम सीह जी से पट्टे देने हेतु निवेदन किया तो मेरे से प्रति पट्टा 10000/- रू कुल 30000/- रू कि रिश्वत राशी कि मांग कि तथा VDO ने मुझे बताया कि जब आपके पास रिश्वत कि राशी कि व्यवस्था हो जाये तो मुझे फोन कर बता देना कि फिता तैयार है। VDO रिस्वत राशी लेन देन के समय कोड वर्ड काम मे लेता है। तथा कोडवर्ड में ही मेरे से वार्ता करेगा। में मेरे जारज कार्य कि एवज में ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक को रिस्वत राशी नहीं देना चाहता हूं। रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। रिपोट करता हू कार्य कार्यवाही करे। एसडी महेश शर्मा 15/6/023 प्रार्थी महेश शर्मा पुत्र श्री धरणी धर जी निवासी रलावता हाल किशनगढ 7737197932 कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टेलीजेंस यूनिट, अजमेर दिनांक 15.06.2023 समय 01.00 पीएम इस समय प्रार्थी श्री महेश शर्मा पुत्र स्व. श्री धरणीधर शर्मा, जाति वैष्णव, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम रलावता, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, हाल निवासी वार्ड नं. 03, सांसद निवास के पिछे, मदनगंज-किशनगढ़, जिला अजमेर मोबाईल नं. 7737197932 ने उपस्थित कार्यालय होकर मन उप अधीक्षक पुलिस पारसमल के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में दरियाप्त की तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी स्वयं की कलमी लिखी हुई है। मैं 10 वीं कक्षा तक पढा हूं, तथा पेशे से नमकीन सप्लाई का कार्य करता हूं। तथा मेरा पूजा पाठ का पुश्तैनी कार्य भी है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में पूछताछ की तो बताया कि मेरे ग्राम रलावता में 804 वर्गगज का पुश्तैनी भूखण्ड है, जिसके चारों ओर पक्की बाउण्ड्री व मकान बना हुआ है। इस भूखण्ड में से 300 वर्गगज भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत रलावता से करीबन 50 वर्ष पूराना जारी हो रखा है तथा शेष भूमि का पट्टा जारी करवाने के लिए मैंने मेरी माताजी सुशीला देवी, बडे भाई राकेश शर्मा एवं मेरे स्वयं के नाम से तीन पट्टा आवेदन पत्रावलियां एवं साथ ही पूर्व के जारीशुदा पट्टा (300 वर्गगज) के नवीनीकरण हेतु कागजात (फाईल) तैयार कर ग्राम पंचायत रलावता के वीडीओ (ग्राम विकास अधिकारी) श्री मुलायम सिंह के पास दिनांक 10.01.2023 को जमा करवा दी, तथा उसी दिन 210/- रूपये की राशि बतौर पट्टा आवेदन शुल्क प्रति पट्टा 70/- रूपये के हिसाब से वीडीओ के पास जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर ली थी। इसके बाद में वीडीओ श्री मुलायम सिंह से मेरे भूखण्ड के पट्टा नवीनीकरण एवं नये पट्टे बनवाने के लिए ग्राम पंचायत रलावता में जाकर कई मर्तबा सम्पर्क कर हाथा-जोडी कर निवेदन किया लेकिन श्री मुलायम सिंह हर बार काई न कोई बहाना बनाकर मुझे टरका देता तथा करीबन 6 माह से मेरे कार्य को लटकाए रखा है। मैं दिनांक 14.06.2023 को वीडीओ श्री मुलायम सिंह से उसके कार्यालय ग्राम पंचायत रलावता में जाकर 5.30 पीएम से 6.00 पीएम के करीबन वार्ता की तो वीडीओ श्री मुलायम सिंह ने मेरे से 3 पट्टों के प्रति पट्टा

10,000 /- रूपये के हिसाब से 30,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा कहा कि 10,000/- रूपये आज दिनांक 15.06.2023 को लेना तय हुआ, तथा शेष राशि पट्टा फाईल पूर्ण होने पर ग्रहण करेगा। वीडीओ श्री मुलायम सिंह मुझसे कहा कि जब आप 10,000/- रूपये रिश्वत लेकर आओ तब कोडवर्ड में बता देना कि फिता तैयार है तो मैं समझ जाउंगा। श्री मुलायम सिंह वीडीओ रिश्वत राशि लेते समय कोडवर्ड में ही बात करेगा। मैं मेरे जायज कार्य की एवज में ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं बल्कि रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री मुलायम सिंह वीडीओ से किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन देन बकाया है। श्री महेश शर्मा ने दिनांक 10.01.2023 रसीद संख्या 45 राशि 70/- रूपये (पट्टा आवेदन शुल्क) स्वयं के नाम की एवं पहचान पत्र के तौर पर अपना आधार कार्ड 63489768237 की फोटो प्रति प्रस्तुत की। मेरी माताजी एवं भाई श्री राकेश शर्मा के नाम से पट्टा आवेदन शुल्क घर पर है जो मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। मजमून रिपोर्ट एंव दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात् कार्यालय हाजा के श्री भरतसिंह कानि. बेल्ट नम्बर 18 को उप अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री महेश शर्मा से आपस में परिचय करवाया। तत्पश्चात् कार्यालय अल्मारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर उसे ऑपरेट करने की (बंद एवं चालु) प्रक्रिया समझाई गई तथा परिवादी श्री महेश शर्मा को बताया कि आप श्री मुलायम सिंह वीडीओ से उसके कार्यालय ग्राम पंचायत रलावता में जाकर अपने कार्य एवं रिश्वत के संबंध मांग किये जाने की वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। तत्पश्चात् कानि. श्री भरतसिंह को निर्देश दिये कि संदिग्ध अधिकारी एवं परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने एवं देखने का प्रयास करे एवं एसओ की आम छवि के बारे में गोपनीय जानकारी करे। तत्पश्चात् समय 3.15 पीएम चूंकि परिवादी ने बताया कि एसओ रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता करते समय कोर्डवर्ड में वार्ता करता है। अतः कार्यालय श्रीमान् उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर रेंज अजमेर से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर कैमरा कैप मंगवाई गई। तत्पश्चात् कार्यालय अलमारी से दो नये मैमोरी कार्ड 32-32 जीबी San Disk कम्पनी के निकलवाकर एक मैमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं एक मैमोरी कार्ड कैमरा कैप के लिए डिवाइस में लगाया जाकर कानि. श्री भरतसिंह को सुपुर्द किये गये तथा सांकेतिक स्थान रलावता एवं वार्तानुसार निर्धारित स्थान पर पहुंचने से पूर्व परिवादी को उक्त दोनों डिवाइस सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता को रिकोर्ड करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात् समय 3.45 पीएम पर कार्यालय हाजा के श्री भरतसिंह कानि. एवं परिवादी श्री महेश शर्मा मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड एवं डिजीटल विडियों रिकॉर्डर कैमरा कैप के परिवादी श्री महेश शर्मा की निजी मोटर साईकिल से वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रलावता की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय 6.45 पीएम पर श्री भरतसिह कानि० 18 ने उप अधीक्षक को जरिये मोबाइल बताया कि परिवादी श्री महेश शर्मा की ग्राम विकास अधिकारी से मोबाइल पर एवं रूबरू हुई वार्ता कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है, और कैप कैमरा में भी विडियों रिकॉर्ड हुआ है। मै तथा परिवादी समय 5.00 पीएम पर रलावता ग्राम पंचायत भवन से थोडा पहले पहुँच कर परिवादी के मोबाइल से आरोपी श्री मुलायम सिंह के मोबाइल नं0.8058393010 पर वार्ता करवाई तो परिवादी ने पूछा कि आप कहां हो फिता लेकर आया हूँ, तो आरोपी ने कहा कि मै पंचायत ही हूँ। उक्त वार्ता को मैने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की इसके बाद मैने परिवादी श्री महेश शर्मा को दोनों डिवाईस चालू व बंद करने की प्रकिया समझाई तो परिवादी ने मुझे कहा कि आरोपी मुलायम सिंह बहुत चतुर एवं चालाक है, वह मेरी तलाशी ले सकता है, तो मैने डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर तो चालू करके दे दिया तथा परिवादी ने कहा कि कैमरा कैप मै मेरे हिसाब से चालू कर दूंगा। इसके बाद परिवादी महेश शर्मा अपनी मोटर साईकिल लेकर पंचायत भवन की ओर चला गया तथा मै वही रूका रहा तथा परिवादी के पंचायत भवन के अंदर जाने व आने पर नजर रखी। इसके बाद कानि० श्री भरत सिंह ने अपने मोबाइल से परिवादी श्री महेश शर्मा से वार्ता करवाई तो परिवादी ने बताया मै तथा कानि० श्री भरत सिंह पंचायत भवन से थोडा पहले रूककर मैने ग्राम विकास अधिकारी श्री मुलायम सिंह की लोकेशन जाननी चाही और मेरे मोबाइल नं0 7737197932 से आरोपी के मोबाइल नं0 8058393010 पर वार्ता कर मैने पूछा कि वो फितो लेकर आग्यों मै कठे हो थे, तो उसने कहा कि में पंचायत ही हूँ। उक्त वार्ता को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद मैने श्री भरतसिंह से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू हालत में प्राप्त किया । तथा उनको बताया कि श्री मुलायम सिंह ग्राम विकास अधिकारी बहुत चालाक एवं चतुर है, तथा वार्ता के समय वह मेरी तलाशी ले सकता है, इसलिये मैने कैमरा कैप मेरे पास पानी की बोतल वाली थैली में रखा तथा रिकॉर्डर को मेरे उपर की जेब में रख लिया तथा पंचायत भवन के पास पहुँच कर मैने रिकॉर्डर को भी पानी की बोतल वाली थैली में रख कर मोटर साईकिल के हैंडल में टांक कर पंचायत भवन के अन्दर गया। जब में पंचायत भवन में पहुँचा तो श्री मुलायम सिंह के पास 7-8 प्राईवेट व्यक्ति बैठे थे। जाते ही मै उनके पास खड़ा हो गया तो मुलायम सिंह ने कहा कि आपको सुबह 11.00 बजे बुलाया था, आप अब आ रहे हो आपका पटटा इतना इम्पोर्टेट था, तुम पाँच बजे आये हो इसलिये आपकी तलाशी लेनी पडेगी। मुलायम सिंह ने मुझे कहा कि आप पास वाले कमरे में चले जाओ तो पास वाले कमरे में चला गया। मैं वहाँ करीब 10 मिनट बैठा तथा मुलायम सिंह ने मेरी तलाशी हेतु एक व्यक्ति को भेजा जिसने मेरी तलाशी ली। इसके बाद मैं वापस मुलायम सिंह के पास आकर बैठ गया। यहाँ में करीबन 10-15 मिनट बैठने के बाद मुलायम सिंह को बोला कि मैं बाहर खड़ी मेरी मोटर साईकिल में लटकाये हुए थैले में से पानी की बोतल ले आउं क्या, मैं बाहर जाकर थैले में से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर एवं

कैमरा कैप लेना चाह रहा था। मैं दोनो ही थैले अन्दर लेकर आया तो मुलायम सिंह ने मेरे दोनों ही थेलों को पास के रूम में रखवा कर लॉक लगा दिया तथा मुझे बाहर हॉल में बैठा दिया इसके बाद श्री मुलायम सिंह ने अपने परिचितो को एसीबी की जानकारी करने हेतु कार्यालय के आस-पास मुख्य रोड तक भेजा जो करीबन 1.00 घंटे तक पूरी तसल्ली करके वापस ऑफिस में आये। इसके बाद श्री मुलायम सिंह ने मुझे कहा आप थोडी देर में आ जाओ तो ऑफिस परिसर में ही रहा। थोडी देर 10-15 मिनट में वापस श्री मुलायम सिंह के पास गया तो मुझे एक हाथ में लिखी हुई एक पर्ची दिखाई जिस पर टॉयलेट लिखा हुआ था तथा टॉयलेट की तरफ ईशारा किया तथा हाथ से पैसों का ईशारा किया तो तो मैने कहा कि पैसे तो आपने जो थैले कमरे में रखवाये है, उसमे है, उसके बाद मुलायम सिह के परिचित लडके ने कमरे का ताला खोल दिया। तो मैने कमरे मे से मेरी दोनों थैलों को लेकर टॉयलेट में चला गया। वहाँ टॉयलेट करने के स्थान पर एक पर्ची रखी हुई दिखी जिस पर लिखा हुआ था कि यह फीता बैग के अन्दर डाल दो उसी समय मैने थैले में से कैमरा कैप निकालकर उसको चालू किया तथा टॉयलेट में जो पर्ची लगी हुई थी उसकी रिकार्डिंग की उसके बाद मैने 10,000/ रूपये रिश्वत राशि को उस बैग में रखते हुए की रिकॉर्डिंग की। इसके बाद श्री मुलायम सिंह मोटर साईकिल से निकलते वक्त भी मेरे पेंडिंग कार्य के संबंध वार्ता हुई जो डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई। तथा इसके कुछ समय बाद मैने श्री मुलायम के मोबाइल नम्बर पर पुनः वार्ता कर फिता बैग में रखने के संबंध में वार्ता की (रिश्वत राशि बैग में रखने के संबंध में कन्फर्म किया) तो उसने बताया कि फितो तो म्हाकनै है बन्ना ने दे दियो में बन्ना लेगा फेर (हां फिता तो हमारे पास है, बन्ना को दे दिया बन्ना ले गये थे फिर) तत्पश्चात उप अधीक्षक द्वारा कानि० श्री भरतसिंह एवं परिवादी को कार्यालय पहुँचने के निर्देश दिये, तो परिवादी ने बताया कि अभी 7.00 बजने वाले है, और आपके पास पहुँचुंगा जब तक काफी समय हो जायेगा और बिपरजॉय चक्रवात की वजह से मौसम भी खराब हो रहा है, मैं आपके पास कार्यालय में सवेरे 11.00 बजे बाद आ जाउंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिफ हिदायत दी गई। तथा कानि० श्री भरतसिह को कार्यालय पहुँचने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् समय 9.30 पीएम पर श्री भरतसिंह कानि० उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय कैप कैमरा विडियों रिकॉर्डिंग डिवाईस उप अधीक्षक को प्रस्तुत की। उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी एवं आरोपी श्री मुलायम सिंह के मोबाइल पर वार्ता में परिवादी आरोपी से कहता है, कि फिता लेकर आया हूँ, तो आरोपी ने कहा कि मैं पंचायत ही हूँ। इसके पश्चात परिवादी एवं आरोपी की रूबरू हुई वार्ता में परिवादी के पेडिंग कार्य नवीनीकरण के संबंध में वार्ता हुई जिसमें परिवादी पूछता है कि दोनो साथ ही कर लिज्यो नंक और भी लम्बो फितो चाही है अताक फिता हूं काम चाल ज्याही की। तब आरोपी कहता है, कि अताउ चाल जाहीं इसके बाद परिवादी ने आरोपी के मोबाइल पर फोन कर रिश्वत राशि उसके बैग में रखने के संबंध में वार्ता कर रिश्वत राशि उसके पास पहुँचने के संबंध में कन्फर्म करता है, आरोपी कहता है कि फितो तो म्हाकने है बन्ना ने दे दियो में बन्ना लेगा फेर (हां फिता तो हमारे पास है, बन्ना को दे दिया बन्ना ले गये थे फिर) तत्पश्चात कैमरा कैप विडियों रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को कार्ड रीडर में लगाकर कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से दर्ज विडियों क्लीप को देखा पंचायत भवन के टॉपलेट में वासबैसिन के पास एक गुलाबी रंग की पर्ची रखी हुई है, तथा पास ही एक क्रीम कलर का हैंडबैग रखा हुआ है। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 10,000 रूपये हैडबेंग में रखते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तथा पंचायत भवन के अन्दर एवं बाहर की भी विडियों रिकॉर्डिंग स्पष्ट दिखाई दे रही है। उक्त वार्ताओ को सुनने एवं कैमरा कैप में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड विडियों क्लीप को देखने से आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के लिये फिता शब्द कोडवर्ड काम लिया गया। उपरोक्त दर्ज वार्ता एवं विडियों क्लीप देखने से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। आरोपी श्री मुलायम सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के 10,000/ रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना पाया गया। कानि० भरतसिंह ने बताया कि मैने परिवादी श्री महेश शर्मा को पंचायत भवन में रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाते एवं आते वक्त देखा था। डिजीटल इस रिकॉर्डर एवं कैप कैमरा को सुरक्षित हालत में उप अधीक्षक की अलमारी में रखा गया। तत्पश्चात् दिनांक 17.06.23 समय- 12.15 पीएम पर परिवादी श्री महेश शर्मा उपस्थित कार्यालय आया, तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के संबंध ग्राम पंचायत भवन रलावता में जाकर संदिग्ध श्री मुलायम सिंह यादव ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में मोबाइल पर हुई वार्ता की ताहिद की तथा कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर एवं कैमरा कैप विडियों रिकॉर्डर निकालकर उनमे दर्ज ऑडियो एवं विडियों को परिवादी को सुनाया एवं दिखाया गया। परिवादी ने बताया कि मुलायम सिंह अब मेरे से शेष 20,000/ रूपये रिश्वत राशि करीबन 15 दिवस बाद ग्रहण करेगा। अभी मेरे 03 पटटों संबंधित फाईल एवं नवीनीकरण की फाईल को तैयार नही किया है, तैयार करते ही वह मुझे फोन कर बुलायेगा। शेष रिश्वत राशि 20,000/ रूपये ग्रहण करते समय भी मुलायम सिंह कोडवर्ड में ही वार्ता करेगा। परिवादी ने यह भी बताया कि अभी मुलायम सिंह की ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा चलाये गये मंहगाई राहत कैम्प में रलावता से बाहर है, वह केवल रिश्वत राशि के लिये ही मेरे से वार्ता करने एवं रिश्वत राशि लेने के लिये रलावता आया था। परिवादी ने बताया कि जब भी श्री मुलायम सिंह का फोन आयेगा तो मै आपको सुचित कर दूंगा। परिवादी को उक्त ट्रेप कार्यवाही के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। उक्त कार्यवाही के हालात श्रीमान उप महानिरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरों अजमेर को निवेदन किया गया। दिनांक 21.08.2023 को श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, का स्थानान्तरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम होने पर

भीलवाडा रवानगी पर परिवादी श्री महेश शर्मा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई अब तक की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज, रनिंग नोट, वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, विडियो रिकार्डिंग केप मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तो पाया कि परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.06.2023 को हुई जिसमें आरोपी ने कोडवर्ड फिता के रूप में रिश्वत राशि की मांग की है। दिनांक 31.08.2023 को श्री भरतसिंह कानि. 18 के मोबाईल से प्रार्थी श्री महेश शर्मा के मोबाईल पर कॉल करके अग्रिम कार्यवाही के संबंध में वार्ता करना चाहा तो परिवादी ने बताया वह व्यस्त है इस कारण अग्रीम कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 14.09.2023 को परिवादी श्री महेश शर्मा उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि में पूजा-पाठ कार्य व धार्मिक यात्रा में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए उपस्थित नहीं हो सका। वी.डी.ओ. साहब मेरे से अचानक दो बार मिले, एक बार रलावता के मंदिर व दूसरी बार किशनगढ़ में मकराना चौराहा पर मिले तो 10,000-10,000 रूपये की रिश्वत राशि ले ली तो मैं एसीबी को नहीं बता पाया। तीन पट्टे में दो पट्टे मेरे स्वयं व मेरी माँ के नाम बनाकर मुझे दे दिये, परन्तु मेरे भाई के नाम का पट्टा अभी तक मुझे नहीं दिया है। मेरे द्वारा मेरे भाई का पट्टा मांगने पर कहा कि वो मेरे पास सुरक्षित है दे दूंगा, लेकिन 10,000 रूपये ओर देने पड़ेंगे। इस पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर कॉल करवाया तो उसने रिसिव नहीं किया तो कार्यवाही नहीं हो सकी। परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई कि उसके द्वारा सम्पर्क करने व रिश्वत् राशि मांगने पर कार्यालय में मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करेंगे। बाद आवश्यक हिदायत परिवादी को रूखस्त किया गया। दिनांक 02.11.2023 को परिवादी श्री महेश शर्मा उपस्थित कार्यालय आये। चूंकि परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करने हेतु दो गवाहान कार्यालय भू-प्रबन्धक अधिकारी, अजमेर से दो स्वतंत्र गवाह श्री जयराम लाल पुत्र श्री देवाराम मुण्ड जाति जाट उम्र 41 साल निवासी ओमपुरा पोस्ट कुकनवाली थाना चितावा, जिला डीडवाना-कुचामन हाल पटवारी कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी अजमेर एवं श्री जितेश मण्डोलिया पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र 25 साल निवासी प्रतापपुरा कलां तहसील आमेर थाना हरमाड़ा जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय भू-प्रबन्धक अधिकारी अजमेर तलबिदा उपस्थित आये, जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उपरोक्तानुसार परिचय प्राप्त किया। परिवादी व गवाहान का आपस मे परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तथा दिखाया गया। प्रार्थना पत्र पर गवाहों द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात कार्यालय की अलमारी मे से वॉयस रिकॉर्डर निकालकर, वायस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालू करके गवाहान को मुख्य अंश सुनाये गये। गवाह से आगामी कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर गवाहो द्वारा अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उपरोक्त गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुन-सुनकर मेरे निर्देशन में श्री हुकमाराम कानि० से टाईप करवाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त वार्ताओं की 2 सीडी आईओ व आरोपी हेतु पृथक-पृथक बनवाई जाकर मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्क एम अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित कार्यालय की अलमारी से कैमरा कैप निकालकर कैमरा कैप में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज विडियो रिकॉर्डिंग को चालु कर गवाहान को दिखाने व सुनाने के लिए कैमरा कैप में लगे मैमोरी कार्ड को कार्ड रीडर में लगाकर कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया व सुनाया गया। विडियों रिकॉर्डिंग में विडियों ही है कोई ऑडियो नहीं है। तत्पश्चात् परिवादी व गवाहन की उपस्थिति में मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री हुकमाराम कानि. से उपरोक्त रिकॉर्डेड विडियों की 2 सीडी आईओ व आरोपी हेतु पृथक पृथक बनवाई जाकर मैमोरी कार्ड को सफेद थैली में सील्ड मोहर कर कर मार्क सी अंकित कर जरिये फर्द जब्त कर संबंधित कर हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने बताया की आरोपी मंगलवार या बुधवार को रलावता आता है, उस दिन मेरे से सम्पर्क करने पर मैं आपको अवगत करवा दूंगा। तत्पश्चात् परिवादी एवं दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 06.11.2023 को परिवादी ने जरिये वाट्स एप कॉल अवगत कराया कि कल मंगलवार है और श्री मुलायम सिंह कल पंचायत भवन में आयेगा तो कल रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही हो सकती हैं। इस पर परिवादी को समय 10.00 एएम पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि के साथ किशनगढ़ मिलने हेतु हिदायत दी गई तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व कार्यालय स्टॉफ को समय 09.00 एएम पर इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 07.11.2023 समय 09.00 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री जयराम लाल एवं श्री जितेश मण्डोलिया एवं एसीबी स्टॉफ उपस्थित कार्यालय हाजा आये। तत्पश्चात् समय 09.35 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री जयराम लाल एवं श्री जितेश मण्डोलिया एवं एसीबी स्टॉफ मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स, वॉयस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड एवं श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक मय फिनोफ्थलीन की शीशी के मय वाहन सरकारी मय चालक एवं प्राईवेट वाहन से एसीबी अजमेर से किशनगढ़ के लिए रवाना होकर समय 10.15 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रेल्वे स्टेशन किशनगढ़ के पास पहुंची तथा परिवादी से जरिये दूरभाष वार्ता कर तलब किया गया। तत्पश्चात् समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री महेश शर्मा उपस्थित आया तथा अवगत कराया कि मैने रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ली थी परन्तु अचानक मेरे निजी कार्य में पैसे खर्च हो जाने से मैं

रिश्वत राशि की व्यवस्था आज नही कर सकता हूं। आईन्दा रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर मैं आपको अवगत करवा दूंगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के किशनगढ़ से रवाना होकर एसीबी कार्यालय अजमेर पहुंची। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 07.12.2023 को परिवादी श्री महेश से जरिये वाट्स-अप कॉल वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी बाहर आया हुआ हूं, 10-15 दिन बाद अजमेर आकर आप से सम्पर्क कर लूंगा। दिनांक 22.12.2023 को परिवादी श्री महेश से जरिये दूरभाष वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी बाहर हूं तथा व्यस्त हूं इसलिए कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 03.01.24 को परिवादी से पुनः जरिये वाट्स-अप कॉल वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि अब श्री मुलायम सिंह को शायद शंका हो गई है, इसलिए वह मेरे से सम्पर्क नही कर रहा है, ना ही मेरा फोन उठा रहा है और मेरे से बात नहीं करता है, इसलिए अब कार्यवाही करवाना संभव नही हैं। अतः आरोपी श्री मुलायम सिंह, ग्राम विकास अधिकारी रलावता अब परिवादी से सम्पर्क नही कर रहा है एवं ना ही रिश्वत के संबंध में परिवादी से कोई वार्ता कर रहा है, ना ही परिवादी का फोन उठा रहा हैं। इसलिए अब ट्रेप कार्यवाही की संभावना नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यो एवं अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री महेश शर्मा द्वारा ग्राम रलावता में 804 वर्गगज का पुश्तैनी निर्मित भूखण्ड में से 504 वर्गगज के 3 पट्टे अपनी माता सुशीलादेवी भाई राकेश व अपने नाम से बनवाने हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.23 को श्री मुलायम सिंह ग्राम विकास अधिकारी रलावता के पास जमा करवाये। दिनांक 14.06.23 को परिवादी ग्राम पंचायत रलावता में जाकर वीडीओ मुलायम सिंह जी से पट्टे देने हेतु निवेदन किया तो मुलायम सिंह ने परिवादी से प्रति पट्टा 10000 रूपये से कुल 30000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा वीडीओ ने कहा कि जब आपके पास रिश्वत राशि की व्यवस्था हो जाये तो फोन कर बता देना कि फिता तैयार है। इस पर परिवादी ने एसीबी इन्टे०, अजमेर में दिनांक 15.06.2023 उपस्थित होकर उक्त संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तो दौराने सत्यापन परिवादी ने आरोपी से जरिये दूरभाष वार्ता कर वार्ता कर आरोपी द्वारा पूर्व निर्धारित किये गये रिश्वत राशि का कोर्डवर्ड फिता का पूछा कि "आप कहां हो फिता लेकर आया हूँ, तो आरोपी ने कहा कि में पंचायत ही हूँ। परिवादी पंचायत भवन में श्री मुलायम सिंह के पास गया तो आरोपी ने परिवादी को हाथ से लिखी हुई एक पर्ची दिखाई जिस पर टॉयलेट लिखा हुआ था तथा टॉयलेट की तरफ ईशारा किया इस पर परिवादी टॉयलेट में गया तो तो वहां एक हल्के गुलाबी रंग की पर्ची दिवार पर लगी हुई थी, परिवादी ने बताया कि उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि यह फीता बैग के अन्दर डाल दो इस पर परिवादी ने 10,000 रूपये रिश्वत राशि को उस बैग में रखते हुए की रिकॉर्डिंग की। परिवादी ने ग्राम पंचायत रलावता से निकलने के कुछ समय बाद आरोपी मुलायम सिंह से रिश्वत राशि बैग में रखने के संबंध में कन्फर्म किया तो आरोपी मुलायम सिंह बताया कि फितो तो म्हाकनै है, बन्ना ने दे दियो मैं, बन्ना लेगा फेर (हां फिता तो हमारे पास है, बन्ना को दे दिया बन्ना ले गये थे फिर) । मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त वार्ताओ को सुनने एवं कैमरा कैप में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड विडियों क्लीप को देखने से आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के लिये फिता शब्द कोडवर्ड काम में लेना एवं विडियो रिकार्डर में परिवादी द्वारा एक बैग में पैसे रखते हुए एवं हल्की गुलाबी रंग की पर्ची दिवार पर लगी होना पाया गया। उपरोक्त तथ्यो से आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना पाया गया। इस प्रकार आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री मुलायम सिंह यादव पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव, उम्र 28 वर्ष, जाति यादव, निवासी- बागडी गोपीनाथ, आपरियो की ढाणी, पोस्ट धोला का बास, वाया कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रलावता जिला अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र.नि. ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।भवदीय,(कंचन भाटी)पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,इन्टेलीजेंस यूनिट, अजमेर..... कार्यवाही पुलिस....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कंचन भाटी, पलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टेलीजेंस यूनिट, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अरोपी श्री मुलायम सिंह यादव पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव, निवासी बागडी गोपीनाथ, आपरियो की ढाणी, पोस्ट धोला का बास, वाया कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रलावता जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 39/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री दीनदयाल वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता की गई। उक्त की रोजनामचाआम पर 491 रपट अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांकः- 187-90 दिनांक 04-03-2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है। 1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2-विकास अधिकारी,पंचायत समिति किशनगढ, जिला अजमेर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टेलीजेंस यूनिट, अजमेर। उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** DEENDAYAL VAISHNAV **Rank** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/03/2024 17:13:21

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	21/11/1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)